




कार्यालय, नगर पालिक निगम, इन्दौर
स्वच्छ भारत मिशन



क्रमांक 715/SBM/21-22

दिनांक 16-11-21

आदेश

प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट रूल्स 2016 एवं MOEFCC द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार शहर में स्वच्छता बनाये रखने एवं स्वच्छ पर्यावरण के दृष्टिगत नगरीय क्षेत्र में उपयोग होने वाले 75 Micron से कम मोटाई के पौलेथिन केरी बैग, नॉन वोवन प्लास्टिक केरी बैग या अन्य उत्पाद, 200 एम.एल. से कम पी.ई.टी./पी.ई.टी.ई. पानी की बॉटल/पाउच, थर्मोकोल, प्लास्टिक बेर्स्ड सिंगल यूज डिस्पोजेबल, कटलरी एवं अन्य आर्टिकल, स्ट्रॉप पाईन, प्लास्टिक फूड पैकेजिंग मटेरियल एवं प्लास्टिक तथा थर्मोकोल की सजावट हेतु सामग्री का उपयोग नगर निगम सीमा में पूर्ण प्रतिबंधित किया जाता है।

समस्त स्वास्थ्य अधिकारी एवं मुख्य स्वच्छता निरीक्षक को झोन क्षेत्रान्तर्गत पौलेथिन/थर्मोकोल/प्लास्टिक के उपयोग पाये जाने पर नियमानुसार स्पॉट फाईन किया जायेगा व प्रत्येक माह रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)

प्रतिमा फस्ल (IAS),

आयुक्त

नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक 16-11-21

क्रमांक 716/SBM/21-22

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, महापौर की ओर मान. महापौर जी को अवगत कराने के क्रम में प्रेषित।
2. समस्त अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर
3. विभाग प्रमुख, समस्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर
4. अधीक्षण यंत्री, एसबीएम, नगर पालिक निगम, इन्दौर
5. झोनल / स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर
6. मुख्य स्वच्छता निरीक्षक, समस्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर

०१८

अयुक्त

नगर पालिक निगम, इन्दौर